22 03/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उप.। अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी उप.। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त राजीनामा पेश कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 220 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो कि प्रार्थी के खातेदारी ख.नं 1202/231 के पूर्वी माठ की तरफ 15x9.22 मीटर तथा भूमि कि उत्तर दिशा की तरफ स्थित प्रार्थी की भूमि के लिये खसरा नं. ~~219 व 219/2~~ 1202/231 में से तथा अप्रार्थी की भूमि खसरा नं. 219/2 व 219 तक पहुँच के लिये प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 220 में से आपसी सहमति से एक दूसरे की भूमि में आने जाने के लिये राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत राजीनामा को प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया तथा उपस्थित प्रार्थी पक्ष की पहचान उनके अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा एवं अप्रार्थीगणों की पहचान उनके अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी द्वारा की गई। चूंकि दोनों पक्ष लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं अतः माफिक राजीनामा खसरा नं. 1202/231 में से पूर्व दिशा के माठ के सहारे-सहारे रकबा 0.1285 हैक्टर व खसरा नंबर 220 में से पूर्व दिशा की ओर माठ के सहारे-सहारे रकबा 0.1009 हैक्टर भूमि रास्ता घोषित करते हुये राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामिल में हुये
	आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। तहसीलदार बाली आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली, नि. भू. अभि. खुडाला व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)